निराकरण आपसी समझौते के तहत 6 अरब 28 करोड़ रुपये से अधिक के अवॉर्ड पारित

नेशनल लोक अदालत में एक लाख 67 हजार प्रकरणों का निराकरण

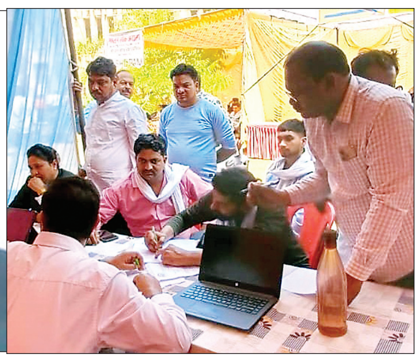

जबलपुर। नेशनल लोक अदालत में शनिवार को एक लाख 67 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के तहत किया गया। जिसमें से 1 लाख 25 हजार से अधिक प्रकरण प्री-लिटिगेशन तथा 42 हजार से अधिक प्रकरण लंबित प्रकरणों के थे। इस दौरान 6 अरब 28 करोड़ रुपये से अधिक का अवॉर्ड भी पारित किया गया।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की रजिस्ट्रार श्रीमती अर्चना सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस विवेक जैन के द्वारा किया गया। लोक अदालत के लिए प्रदेश भर में 1618 पीठों का गठन किया गया था। जिसमें से आठ पीठ का गठन हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ सहित इंदौर व ग्वालियर की खंडपीठ में किया गया था। जिला व तहसील न्यायालय में 1610 पीठों का गठन किया गया था। लोक अदालतों में रिट याचिकाओं,सिविल रिवीजन, द्वितीय अपीलों, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक विवाद, अपराध शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस, श्रमिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, विद्युत व जल बिल विवाद के मामले रखे गये थे। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एक लाख 67 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के तहत किया गया। जिसमें से 1 लाख 25 हजार से अधिक प्रकरण प्री-लिटिगेशन तथा 42 हजार से अधिक प्रकरण लंबित प्रकरणों के थे। इस दौरान 6 अरब 28 करोड़ रुपये से अधिक का अवॉर्ड भी पारित किया गया।

लोक अदालतें न्याय को त्वरित और सुलभ बनाने का प्रभावी माध्यम : मुख्य न्यायाधीश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शनिवार को वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय ने कहा कि लोक अदालतें न्याय को त्वरित और सुलभ बनाने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि जब नियमित न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है, ऐसे समय में लोक अदालतें पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद, समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण तथा अन्य दीवानी मामलों के शीघ्र समाधान का अवसर प्रदान करती हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और लोक अदालतें इस अधिकार को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम हैं।

12 हजार करदाताओं ने 15 करोड़ रुपए की राशि निगम खजाने में जमा की

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम द्वारा आयोजित लोक अदालत ने राजस्व वसूली के मामले में एक बार फिर से अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया है। महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' और राजस्व प्रभारी डॉ. सुभाष तिवारी की सक्रियता एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार की ठोस प्लानिंग के परिणामस्वरूप, 12 हजार करदाताओं ने निगम खजाने में रात्रि 09:00 बजे तक 15 करोड़ रुपये की राशि जमा की। संभाग क्रमांक 4 छोटी लाइन फाटक में महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' ने भी लाइन में लगकर अपना टैक्स जमा किया।

करदाताओं ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा- निगमायुक्त ने बताया कि यह बड़ी उपलब्धि मुख्यालय सहित सभी संभागीय कार्यालयों में आयोजित लोक अदालत में करदाताओं की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई। बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित संपत्ति कर और जलकर एवं अन्य करों का भुगतान किया, जिससे नगर निगम ने राजस्व वसूली का एक नया कीर्तिमान बनाया। नागरिकों के इस सहयोग ने शहर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। निगमायुक्त ने बताया कि 12 हजार करदाताओं ने रात्रि 09:00 बजे तक 15 करोड़ रुपये की राशि निगम खजाने में जमा की है। महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने इस बड़ी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह नगर निगम की टीम भावना और नागरिकों के सहयोग का परिणाम है। वहीं, निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने कहा कि निगम के संपूर्ण राजस्व अमले और अन्य टीम के सदस्यों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय देते हुए उनकी कड़ी मेहनत और लगन की सराहना की है।

गाली देने से नाराज साथी ने की थी हत्या
हल्लू हत्याकांड का आरोपी मैकू गिरफ्तार

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत ककरहाई रपटा के पास 3 मार्च को हुई 60 वर्षीय हल्लू कोल की अंधी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतक का साथी मैकू कोल ही निकला जिसने शराब के नशे पर गाली देने से नाराज होकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। कंट्रोल रूम में एएसपी क्राइम जितेंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम छत्तरपुर निवासी हल्लू कोल पिछले 2 साल से ककरहाई रपटा के पास रघुवीर की टपरिया में रहता था और वहीं खेतों की रखवाली का काम करता था। 3 मार्च की सुबह उसका रक्तरंजित शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी। अंतिम बार मैकू के साथ देखे जाने के आधार पर पुलिस ने संदेह के घेरे में लेकर उससे पूछताछ की थी। जिसमें उसने हत्या करना कबूल किया। पुलिस जांच में सामने आया कि 2 मार्च की शाम हल्लू कोल और मैकू कोल ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसके बाद जब वे वापस हल्लू की झोपड़ी की ओर जा रहे थे, तभी ककरहाई तालाब के पास रपटे पर दोनों के बीच विवाद हो गया। नशे में धुत हल्लू कोल, मैकू को गालियां देने लगा। शुरुआत में मैकू ने बुजुर्ग समझकर उसे नजरअंदाज किया, लेकिन झोपड़ी के पास पहुँचते ही हल्लू ने फिर से गालीगलौज शुरू कर दी। जिससे गुस्साएं मैकू कोल ने हल्लू को धक्का दे दिया, जिससे वह पत्थर पर गिर गया और उसके सिर में चोट आ गई। इसके बावजूद जब हल्लू ने गाली देना बंद नहीं किया, तो मैकू ने उसे दो-तीन बार और धक्का दिया। अंत में आक्रोश में आकर मैकू ने पास पड़ी लकड़ी से हल्लू के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। आरोपित मैकू कोल पिता डुम्मीलाल 30 वर्ष निवासी चरखी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लाठी को जब्त करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

सैकड़ों शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय

जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने के फैसले के विरोध में सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट घंटाघर ओमती का घेराव किया। शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। प्रांतीय शिक्षक संगठन के आव्हान पर जिले भर से आए शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीईटी लागू करना अनुचित है। प्रांतीय उपाध्यक्ष जगत पटेल और राकेश उपाध्याय ने सरकार से कार्यरत शिक्षकों को छूट देने और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। जिला अध्यक्ष दीपक पटेल और महिला मोर्चा अध्यक्ष संध्या अवस्थी ने भी यही बात दोहराई। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

ये रहे उपस्थित

इस मौके पर प्रांतीय शिक्षक संघ, अध्यापक प्रकोष्ठ, गुरुजी संघ सहित मुकेश सिंह ठाकुर, अजय सिंह, ठाकुर शालिकराम पटेल, प्रदीप पटेल, उमाकांत पटेल, अखिलेश कुमार मांझी, दीपक सोनी, उमाशंकर पटेल, अजय रजक मथुरा उपाध्याय, ज्योत्सना उपाध्याय, सीमा सिंह, वीरेंद्र पाटकर, रामकेश पटेल, सुनील नामदेव, गणेश उपाध्याय, सुरेंद्र चौधरी, ब्रज बिहारी पटेल, हेमंत प्रजापति, रवीन्द्र पटेल, नरेंद्र कोरी, देवेश दाहिया सहित सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए।

पिस्टल के साथ युवक पकड़ाया

जबलपुर। बेलबाग पुलिस ने एक युवक को पिस्टल के साथ पकड़ा है। टीआई जितेन्द्र पाटकर ने बताया कि बुद्धे गौड़ अखाड़ा के सामने घेराबंदी कर विकास रजक पिता सुरेन्द्र रजक 26 वर्ष निवासी यादव कॉलोनी रानीताल लार्डगंज को पकड़ा गया। तलाशी लेने एक देशी पिस्टल खोंसे मिला चैक करने पर जिसकी मैग्जीन में 1 कारतूस लोड होना पायी गयी आरोपी के कब्जे से देशी पिस्टल, कारतूस जब्त करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त पिस्टल कारतूस कहॉ से और कैसे प्राप्त किया के सम्बंध में पूछताछ जारी है।

मैकेनिक ने विश्वासघात कर हड़पी कार

अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक मैकेनिक ने विश्वासघात करते हुए कार सुधारने के नाम पर न केवल ग्राहक से पैसे ऐंठे, बल्कि उसकी कार को ही खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी मैकेनिक के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार भेड़ाघाट के ग्राम आमाहिनौता निवासी तीरथ सिंह पटेल (36) ने अधारताल निवासी प्रीति वर्मा से एक मारुति सुजुकी कार क्रमांक एमपी 20 सीबी 5042 खरीदी थी। कार के इंजन में इजेक्टर की खराबी आने के कारण, तीरथ सिंह ने कार आठ अगस्त 2025 को अंधुआ बायपास स्थित नीलेश साहू के गैरेज में सुधारने के लिए दी थी। मैकेनिक नीलेश ने भरोसा दिलाया था कि कार एक महीने में तैयार हो जाएगी। इसके कुछ दिन बाद उसने फोन कर मरम्मत का खर्च 25 हजार रुपये बताया, जिस पर तीरथ सिंह ने उसे 20 हजार रुपये नकद दे दिए।

6 महीने से लापता था मैकेनिक

तय समय बीतने के बाद जब तीरथ सिंह गैरेज पहुँचे, तो वहां ताला लटका मिला। जब वे नीलेश के घर परसवाड़ा, धनवंतरी नगर पहुँचे, तो पता चला कि वह पिछले 6 महीनों से गायब है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। काफी समय तक इंतजार और तलाश करने के बाद जब तीरथ सिंह दोबारा गैरेज गया तो उनकी कार वहां से गायब थी। नीलेश ने कार के बारे में कोई भी जानकारी होने से इंकार कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने रिपोर्ट द र्ज कराई।

एक नजर में

यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों के कटे चालान

नवभारत, जबलपुर। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। आम मार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाकर सड़क व्यवस्था को सुगम बनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें लगभग 80 ऑटो/आपे/ई-रिक्शा वाहन चेक किए गए, जिनमें से 45 चालकों पर कार्रवाई की गई। चालकों को हिदायत दी गई कि वे ओवरलोडिंग न करें और यात्रियों के साथ सुरक्षित एवं शिष्ट व्यवहार करें।इसके साथ ही क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, आगे सीट पर सवारी बैठाने और आम रास्तों पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ा करने वाले चालकों के खिलाफ कुल 135 चालान बनाये गए।

कई क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए -इसके अलावा यातायात पुलिस द्वारा करमचंद चौक, जयंती काम्प्लैक्स से नौदरा ब्रिज तक, सुपर मार्केट और बड़ा फव्वारा क्षेत्र में नो पार्किंग और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिससे यातायात व्यवस्था को बाधारहित बनाया जा सका। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अंजना तिवारी के मार्गदर्शन में की गई।

प्रतिष्ठानों में कर रहे थे घरेलू गैस का उपयोग

नवभारत, जबलपुर। घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग को रोकने कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की कार्यवाही शनिवार को भी जारी रही। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को गोरखपुर अनुविभाग के अंतर्गत पचौरी मिष्ठान भंडार से एचपीसीएल के दो घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक इस्तेमाल करते पाये जाने पर जब्त किया गया। इसी प्रकार खितौला मोड़ सिहोरा में दो प्रतिष्ठानों बालाजी कोल्ड्रिंक्स एवं न्यू अमृतसरी नान से व्यवसायिक इस्तेमाल पाये जाने पर एक-एक सिलेंडर जब्त किये गये।

युवक पर चाकू से हमला

जबलपुर। विजय नगर थाना अंतर्गत शिवनगर में बदमाश ने दो युवकों के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद बीच बचाव के दौरान एक को चाकू मार दिया। पुलिस के मुताबिक संतोष कहार (48) निवासी तुलसीनगर विजयनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम लगभग 5-30 बजे वह एवं उसका साथी विशाल गुप्ता, विक्रम गुप्ता शिवनगर मेन रोड़ भवानी होटल के पास खड़ा था तभी चंडालभाटा निवासी मुडिया अपने एक साथी के साथ आया और विशाल गुप्ता से शराब पीने के लिये पैसों की मांग करने लगे, विशाल ने दोनों को पैसे देने से मना किया तो मुडिया अपने साथी के साथ मिलकर मारपीट करने लगा।

तीन नशे के सौदागरों को दबोचा, लाखों का गांजा और शराब जब्त

जबलपुर। क्राइम ब्रांच के साथ कोतवाली और रांझी पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर तीन नशे के सौदागरों को दबोचा है, जिनके पास से करीब 7.5 किलो गांजा, भारी मात्रा में कच्ची शराब और नगदी बरामद की गई है।

थाना प्रभारी कोतवाली मानस द्विवेदी ने बताया कि क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोपाल बाग तलैया क्षेत्र में घेराबंदी की गई पुलिस ने अभिषेक पटेल उर्फ अंशु (34) निवासी दमोहनाका को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद थैले से 7 किलो 325 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 3 लाख 66 हजार रुपये बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार थाना प्रभारी रांझी उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में पुलिस ने बापूनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी राहुल सोनकर उर्फ बाबू (27) और करन बर्मन (18) के पास से गांजे के 30 पाउच (170 ग्राम) और 55

कमीशन लेकर 100-100 रूपए में बेचता था गांजे के पाउच

रांझी पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी करन बर्मन ने बताया कि वह राहुल के कहने पर गांजे के पाउच 100-100 रुपये में बेचता था, जिसके बदले उसे 300 रुपये कमीशन मिलता था। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी राहुल उर्फ बाबू सोनकर एक शातिर अपराधी है। उसके विरुद्ध पूर्व में अवैध वसूली, बलवा, आबकारी और आर्म्स एक्ट जैसे 6 गंभीर अपराध दर्ज हैं।

जंगल में 200 लीटर लाहन किया नष्ट

आरोपी राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने नाले के पास स्थित जंगल में दबिश दी, जहाँ टंकी में भरा लगभग 200 लीटर लाहन मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से गांजा, शराब और बिक्री के 1015 रुपये नगद जब्त कर आबकारी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

सोमवार को होगा सूची का प्रकाशन

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा चुनाव-2026 के संबंध में अधिवक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न सूचनाएँ, अधिसूचनाएँ तथा दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोविजनल मतदाता सूची, आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अंतिम मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की जानकारी तथा अन्य आवश्यक चुनाव संबंधी निर्देश परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इस दौरान परिषद ने सभी अधिवक्ता संघों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने अधिवक्ताओं को उक्त वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध जानकारी से अवगत कराएं।

कमेटी का हुआ गठन

बता दे कि राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 16 मार्च सोमवार को किया जाएगा। मालूम हो कि चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर न्यायमूर्ति सुशील कुमार पॉलो, पूर्व न्यायाधीश हैं। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया उच्च न्यायालय तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। साथ ही, चुनाव के दौरान निर्धारित मॉडल आचार संहिता का पालन सभी प्रत्याशियों एवं मतदाताओं के लिए अनिवार्य होगा।

निरीक्षण कलेक्टर-एसपी पहुंचे शहपुरा, रेल ओवर ब्रिज के सुधार कार्य का निरीक्षण कर दिए निर्देश

क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल को ठीक कर शीघ्र करें पूरा

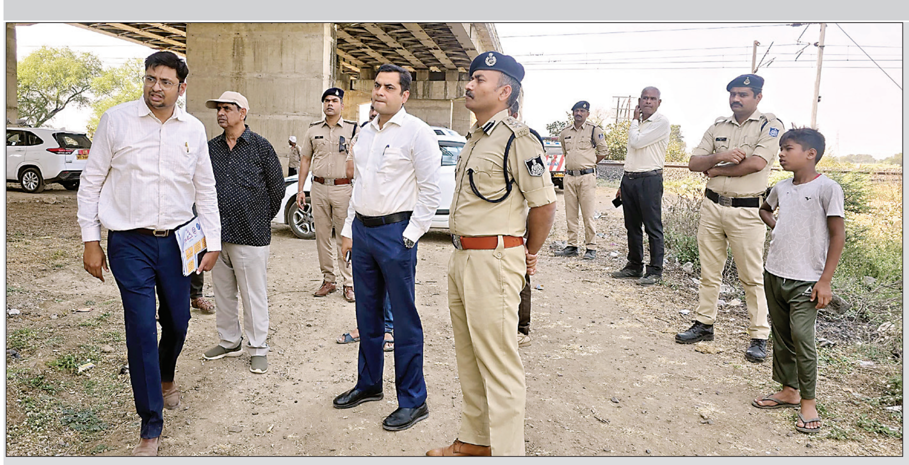

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत जबलपुर-हिरण नदी मार्ग खंड पर शहपुरा के समीप स्थित रेल ओवर ब्रिज की क्षतिग्रस्त हुई रेटेनिंग वाल के सुधार कार्य का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय भी इस मौके पर उनके साथ थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रिटेनिंग वाल के सुधार कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली तथा कार्य में गति लाने और इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को दिये। ताकि, जबलपुर से भोपाल आने-जाने का रास्ता पुनः शुरू किया जा सके। इस अवसर पर बताया गया कि वर्तमान में रेल ओवर ब्रिज के ए-2 साइड के तरफ आरई वॉल पैनल्स को हटा कर फिलिंग मटेरियल रिमूव करके ग्राउंड इंप्रूवमेंट (स्टोन कॉलम) का कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने आरओबी के ए-1 साइड पर सुरक्षा की दृष्टि से डायवर्ज़न रोड को दुरुस्त करने निर्देश भी निरीक्षण में दिए।

शहपुरा मंडी के आसपास हटेंगे अतिक्रमण

कलेक्टर ने फिलहाल जबलपुर से भोपाल आने-जाने के लिए चिन्हित वैकल्पिक मार्ग शहपुरा कृषि उपज मंडी प्रांगण से कैथरा फाटक के आसपास के अतिक्रमण और मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के निर्देश एसडीएम शहपुरा को दिये। थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया कि वन वे रूट से वाहनों का आवागमन चालू कराएं, ताकि जाम न लगे। उन्होंने सीएमओ नगर परिषद से कहा कि इस मार्ग पर कचरा एवं पानी के पाउच फेंकने वाले दुकानदारों पर फाइन लगाएं।

रसोई गैस वितरण व्यवस्था का भी लिया जायजा

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शहपुरा आरओबी की रिटेनिंग वाल के सुधार कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही शहपुरा में गैस वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया तथा संबंधितों को निर्देशित किया कि गैस की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित न हो। घरेलू एलपीजी गैस के कमर्शियल उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाये और यदि कोई उपयोग करता पाया जाए तो उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार ने बाइक को कुचला, दो घायल

जबलपुर। शहपुरा थाना अंतर्गत गंजकटंगा तिराहा एनएच 45 में तेज रफ्तार कार ने मोटर सायकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में दो लोग घायल हो गए जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया वहीं कार चालक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लखन सिंह लोधी 18 वर्ष निवासी मालाकला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शनिवार को दोस्त रामप्रसाद बर्मन निवासी पथरिया थाना बेलखेड़ा के साथ काम से शहपुरा आये थे शहपुरा में रामप्रसाद बर्मन की मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 जेड एम 7411 से वापस गांव मालाकला पाटन जा रहे थे मोटर सायकल रामप्रसाद बर्मन चला रहा था शाम लगभग 4 बजे जैसे ही ग्राम गंजकटंगा तिराहा एनएच 45 थाना शहपुरा पहुँचे तभी सामने से आ रही कार शिफ्ट कार का चालक तेज गति लापरवाही से चलाते हुये उनकी मोटर सायकल में टक्कर मार दिया जिससे दोनों मोटर सायकल सहित गिर गये जिससे उसे एवं रामप्रसाद को हाथ पैर सिर एवं शरीर में चोटें आई हैं। कार चालक जबलपुर तरफभाग गया।